न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः—395 / 2017

प्रार्थीगणः—

1. भोमाराम पुत्र श्री रूगाराम
2. अचलाराम पुत्र श्री बीरमाराम
   जाति जाट निवासी मोटानियानगर,
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगणः—

1. रूगनाथराम पुत्र श्री बगताराम
2. हुक्माराम पुत्र श्री बगताराम
3. भोजाराम पुत्र श्री चुतराराम
4. उगमाराम पुत्र श्री चुतराराम
5. हजारीराम पुत्र श्री लुम्बाराम
6. राजुराम पुत्र श्री जसाराम
7. खेमाराम पुत्र श्री जसाराम
8. अखाराम पुत्र श्री भीखाराम
9. किशनाराम पुत्र श्री भीखाराम
10. मुलाराम पुत्र श्री भीखाराम
11. चन्दुराम पुत्र श्री भीखाराम
12. मांगीलाल पुत्र श्री ईशराराम
13. चुनाराम पुत्र श्री भारूराम
14. भगाराम पुत्र श्री भारूराम
15. मोहनलाल पुत्र श्री बुधाराम
16. भुराराम पुत्र श्री बुधाराम
17. सोनी पत्नी श्री बुधाराम
18. कोजाराम पुत्र श्री सिमाराम उर्फ खियाराम
19. धन्नाराम पुत्र श्री सिमाराम उर्फ खियाराम
20. केशाराम पुत्र श्री सिमाराम उर्फ खियाराम
21. गंगाराम पुत्र श्री सिमाराम उर्फ खियाराम
22. देवाराम पुत्र श्री दलाराम
23. मांगीलाल पुत्र श्री चोलाराम
24. हड़मानराम पुत्र श्री चोलाराम

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:34:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

25.बीरमाराम पुत्र श्री दलाराम
26.फुलाराम पुत्र श्री दलाराम
27.रूगाराम पुत्र श्री दलाराम
28.नेनाराम पुत्र श्री भारूराम
29.घमण्डाराम पुत्र श्री भारूराम
30.रेवन्तराम पुत्र श्री भारूराम
31.भीखाराम पुत्र श्री हरकाराम
32.खुमाराम पुत्र श्री हरकाराम
33.लुम्बाराम पुत्र श्री हरकाराम
34.चुनाराम पुत्र श्री हरकाराम
35.मोहनराम पुत्र श्री हरकाराम
36.सोहनराम पुत्र श्री हरकाराम
37.कालुराम पुत्र श्री हरकाराम
38.भंवरूराम पुत्र श्री जसाराम
39.रूपाराम पुत्र श्री जसाराम
40.ओमाराम पुत्र श्री जसाराम
41.दुर्गाराम पुत्र श्री जसाराम
42.सुखाराम पुत्र श्री जसाराम
सभी जाति जाट निवासी मोटानियानगर
तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।
43.श्रीमान् उप तहसीलदार मतोड़ा।
44.श्रीमान् तहसीलदार ओसियां जरिये भूमिधारी
45.हल्का पटवारी मतोड़ा, पटवार मण्डल मतोड़ा
46.भू–अभिलेख निरीक्षक बापिणी वृत तहसील ओसियां जिला जोधपुर
47.सरपंच ग्राम पंचायत मोटानियानगर पंचायत समिति बापिणी

उपस्थित –

प्रार्थीगण – **अधिवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी**

अप्रार्थी संख्या 1 से 7, 9, 11 से 15, 17 से 21 की ओर से **अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई।**

कार्यालय सहायक कलेक्टर (राजस्व) जिला जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:34:24 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 7/8/19

प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131 व 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

सहायक कलेक्टर, शाब०

Scanned by CamScanner

1956 एवं नियम 58, 58(3), 59, 60, 66 एवं 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि:–तहसील ओसियां के पटवार मण्डल मतोड़ा के राजस्व ग्राम मोटानिया नगर में सार्वजनिक रास्ता प्रयोजनार्थ आपसी सहमति से राजस्व अभियान 2008 केम्प मतोड़ा में आपसी सहमति से खातेदारी भूमि का बंटवाड़ा क्रमांक राजस्व/राअनि/2008/125 व 126 दिनांक 15.02.2008 के अनुसार विभाजन करवाया जाकर रास्ते के रूप में सुखाचार व लोक अदालत की भावना एवं जनकल्याण के मध्यनजर रास्ते के लिये भूमि छोड़ते हुए बंटवाड़ा करवाया गया है। जिसके अनुसार राजस्व ग्राम मोटानिया नगर में नामान्तरकरण संख्या 39 व 40 भरे जाकर नायब तहसीलदार ओसियां द्वारा स्वीकृत किये गये तथा रास्ते के रूप में बंटवाड़े में छोड़ी गई भूमि की अलग तरमीम करके नये बट्टा नम्ब्रान द्वारा भूमि खसरा नम्बर 327/2 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 363/2 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 379/2 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 385/2 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 720/1 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 1063/1 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 1064/1 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 1065/1 रकबा 09 बिस्वा व खसरा नम्बर 1065/2 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा कुल खसरा नग 09 कुल रकबा 13 बीघा 09 बिस्वा की भूमि प्रतिवादीगण के नाम रास्ते के रूप में छोड़ी हुई जमीन तरमीम से खाते में दर्ज है जिसको रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग में लिया जा रहा है। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि सार्वजनिक मार्ग के रूप में छोड़ी हुई जमीन की किस्म गै.मु. रास्ता के लिये राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के संयुक्त शासन सचिव के परिपत्र क्रमांक प3(2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2016 के दौरान रास्ते संबंधी अनेक समस्याएं आने पर चालु स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही कर गै.मु. रास्ता के रूप में नक्शे व जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दर्ज किये हुए है केवल किस्म गै.मु. मार्ग दर्ज करने का परिपत्र जारी किया गया जो अन्तर्गत धारा 131 व 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 58(3), 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के तहत सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्य संबंधित निर्देश दिये गये है तथा आपसी सहमति एवं बंटवाड़ा में सुखाचार की धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अनुपालना में उक्त परिपत्र अनुसार दर्ज करवाना चाहते है।

उपरोक्त खसरान की जमीन को [illegible] सार्वजनिक सहमति से बंटवाड़े में छोड़ी गई भूमियों में से चालु [illegible] का राजस्व अभिलेख में अंकन गै.मु. मार्ग नहीं है जो बारहमासी [illegible] तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलते नहीं है और आम जन के आने जाने हेतु उपलब्ध है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:34:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3) के परिपत्र क्रमांक एफ40(77)ग्रावि/नरेगा/कन्वर्जेन्स–पीडब्ल्युडी/2014 दिनांक 29.02.2016 के द्वारा सार्वजनिक भूमि पर प्रचलित आम रास्ते पर ग्रेवल परम्परागत मार्ग पर ग्रेवल सड़क बनायी जानी प्रस्तावित है। उक्त 327/2, 363/2, 379/2, 385/2, 720/1, 763/1, 764/1, 765/1, 765/2 खसरा नम्बरों में से निकलने वाला मार्ग गोरचियों की ढाणी के खातेदारों को आने जाने के लिये आपसी सहमति से बंटवाड़े में मार्ग छोड़ा गया है जो मोटानिया नगर की सरहद से डामर सड़क से निकलकर अन्य मुख्य मार्गो के उपयोग में आने वाली जमीन को राजस्व रेकर्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज करवाने के लिये ग्राम पंचायत मोटानिया नगर के राजस्व मार्ग मोटानिया नगर निवासियों द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 एवं धारा 14, 28–क, 33, 36 भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 के तहत आवागमन का रास्ता निर्बाध रूप से खुला रखने व सरकारी सम्पति घोषित करवाने के लिये मांग की जा रही है तब से इस मार्ग को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने की कार्यवाही वर्ष 2009 से चल रही है परन्तु अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। उक्त खसरान की भूमि से आगे कटाणी रास्ता व सड़क तथा कदीमी मार्ग आये हुए है खातेदारी भूमि को बंटवाड़े में मार्ग की जमीन के अलग बट्टा नम्बर व तरमीम नक्शे में की हुई है। जहां पर रास्ते के लिऐ भूमि राजस्व नक्शे में रेड लाईन से तरमीम की हुई है परन्तु राजस्व रेकर्ड में बारानी किस्म दर्ज है जिसको अपास्त कर रेकर्ड में गै.मु. रास्ता घोषित करवाना चाहते है। गै.मु. मार्ग खसरा नम्बर 327/2, 363/2, 379/2, 385/2, 720/1, 763/1, 764/1, 765/1, 765/2 में से दर्शाया गया बट्टा नम्बरान की भूमि रास्ते की भूमि है इसके अलावा गोरचियों की ढाणी में आने जाने के लिये दुसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। खसरा नम्बर 1063/1 की तरमीम उत्तरी कणा माठ से हटाकर दुरूस्त करते हुए दक्षिणी कणा माठ खसरा नम्बर 1065/3 के चिपती हुई करवायी जावें ताकि सभी सह खातेदार खसरा नम्बर 1062 के बीच रास्ता लग सकें ताकि बंटवाड़े में सभी के हिस्से अनुसार छोड़ी हुई भूमि का लाभ मिल सके और राजस्व कर्मियों की भूल सुधार हो सकें। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में विकास कार्य करवाना चाहते है तथा कटाण का रास्ता नहीं होने से आवागमन में कोई विघन्न उत्पन्न नहीं हो और आसानी से आवागमन में कोई असुविधा नही हो जिसके लिए प्रार्थीगण को जनहित में उक्त रास्ता अत्यन्त आवश्यक है एवं [illegible] नक्शे में दर्शाया गया रास्ता सहमति से छोड़ा गया है जो लघुतम एवं निकटतम [illegible] उक्त खसरान को गै.मु. रास्ता घोषित किया जावें [illegible] निवेदन है कि न्यायहित में बंटवाड़े में सहमति से [illegible] को कटाणी रास्ते में उक्त वर्णित खसरा नम्बर 327/2, 363/2, 379/2, 385/2,

सहायक कलेक्टर, [illegible]

720/1, 763/1, 764/1, 765/1, 765/2 की भूमियों में से आमजन के आने–जाने हेतु रास्ता सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में रास्ते संबंधी समस्याओं का निराकरण अभियान–2016 के तहत रास्ते संबंधी कानुन/नियम के तहत सर्वेक्षणसुदा तथा अभिलेख में मानचित्र में तरमीम सहित एवं फील्डबुक/जमाबंदी का संधारण कर वार्षिक रजिस्टरों में एवं राजस्व रेकर्ड में निजी खातेदारी भूमि में से आपसी सहमति से बंटवाड़े में छोड़ी गयी भूमि पर स्थाई रूप से चल रहे कदीमी मार्ग के बट्टा नम्बरान के खसरान को गै.मु. रास्ता घोषित कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

यह है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1 से 7, 9, 11 से 15, 17 से 21 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया अन्य अप्रार्थीगण अनुपस्थित इनकी ओर से कोई हाजिर नहीं। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

भू–अभिलेख निरीक्षक मतोड़ा से मौका फर्द तलब की गई। मौका फर्द दिनांक 29.07.2019 को तैयार की जाकर मय नजरी नक्शा न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

यह है कि बहस पक्षकारान अधिवक्ता की सुनी गई बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि नजरी नक्शे में बिन्दू एबीसीडी रास्ता चाहा गया है जिसमें बीसीडी मौके पर रास्ता नहीं है। बिन्दू ईएफजीएचआई मौके पर मार्ग चल रहा है आवागमन चालू है खसरा नम्बर 1062 की दक्षिणी मेड़ पर मार्ग चल रहा है। जिससे यह स्पष्ट है कि मौके पर वैकल्पिक रास्ता मौका फर्द में मार्क ईएफजीएचआई चल रहा है। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा यह सहमति जाहिर की कि वैकल्पिक रास्ता मार्क ईएफजीएचआई चलता है वहीं पर प्रार्थीगण को रास्ता दे दिया जावें। इस प्रकार जहां वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण के पास उपलब्ध है वहीं से प्रार्थीगण रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है। जब तक प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तब तक अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता प्राप्त करने का कोई अधिकार [illegible] रास्ता मौका रिपोर्ट में मार्क ईएफजीएच[illegible] ही प्रार्थी[illegible] का [illegible]ना पत्र स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:34:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

-::आदेश::-

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौका रिपोर्ट में वर्णित वैकल्पिक रास्ता ईएफजीएचआई जो चल रहा है वहीं से रास्ता दिये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार बापिणी मौका फर्द में वर्णित वैकल्पिक रास्ता ईएफजीएचआई जहां चल रहा है उन्हीं खसरों में से रकबा निर्धारित किया जाकर दर्ज गिरदावरी अनुसार तथा मौके की स्थिति अनुसार निर्धारित डी.एल.सी. की दर से दो गुना प्रतिफल खातेदारान को दिलवाया जाकर नया रास्ता दर्ज किया जाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावें। जिसके बाबत् तहसीलदार बापिणी को लिखा जावें, मौका फर्द रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 7/6/19 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:34:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner